न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

| | |
|---|---|
| मैन्यूअल प्रकरण संख्या | 58/2018 |
| G.C.M.S.प्रकरण संख्या | 2018/00019 |
| प्रकरण दर्ज होने की दिनांक | 08.06.2018 |
| निर्णय दिनांक | 01.09.2022 |

उनवान

| | |
|---|---|
| 1 | हजारी पुत्र उमा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय सोहनी पत्नि शंभू पुत्री हजारी भील |
| 2 | नाथू पुत्र उमा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 3 | गोपाल गोदपुत्र किशना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 4 | बरजी पत्नि किशना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |

– वादीगण

बनाम

| | |
|---|---|
| 1 | कल्याण पुत्र चौथू भील नि.कबराड़िया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा |
| 2 | रतनलाल पुत्र सुखा भील नि.अजीतपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 3 | नन्दराम पुत्र माना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 4 | भंवर पुत्र माना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 5 | लक्ष्मी पुत्री माना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 6 | नन्दा पुत्र धन्ना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 7 | चान्दी पुत्री धन्ना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 8 | जसू पुत्री धन्ना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 9 | बाली पुत्री धन्ना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 10 | जम्मू पत्नि रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 11 | नारायण पुत्र रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 12 | सुखा पुत्र रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 13 | सीताराम पुत्र रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 14 | सोहनी पुत्री रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 15 | झमकू पुत्री प्रताप भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 16 | केशी पुत्री प्रताप भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 17 | सायरी पुत्री प्रताप भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 18 | संतोष पुत्र उरजा भील नि.सुलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा |
| 19 | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा |

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:26:31 IST
Reason: SelfAttested

| | |
|---|---|
| उपस्थित वकील वादी / अप्रार्थी | श्री दौलत[illegible] [illegible]र चारण |
| उपस्थित वकील प्रतिवादी / प्रार्थी | [illegible] |

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,92 ( A) 1[illegible]5 , 136 LRA**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.**

आदेश

सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द

(1) अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 18 / प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.में पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि वादीगण हजारी व अन्य द्वारा उक्त अनवान का एक वादपत्र आप न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88 ,92 A राजस्थान काश्तकारी कानून व 136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी / प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार कायम है तथा प्रतिवादी वादग्रस्त जायदाद का सहखातेदार है।

(2) उक्त अनवान के वाद पत्र में वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार के विरूद्द उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कि प्रतिवादी संख्या 19 तहसीलदार आसीन्द को पक्षकार कायम किया गया है जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 के अनुसार राजस्थान सरकार के विरूद्द वाद पत्र में माननीय जिलाधीश महोदय वाद प्रतिनिधित है जिन्हे कि वाद पत्र में पक्षकार कायम किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा यह कानून का आज्ञापक प्रावधान है जबकि वादीगण द्वारा कानून के आज्ञापक प्रावधान की जानबूझकर अवलेहना की गयी है। इस बिनाय पर प्रस्तुत वादपत्र पूर्णतयाःविधि विरूद्द है।

(3) प्रस्तुत वादपत्र मे प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात सद्भाविक क्रेता के रूप में खरीद की गयी है तथा उक्त जायदाद पंजीकृत दस्तावेज से खरीद की गयी है किन्तु उक्त की जानकारी के अन्तर्गत अवधि में भी वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध मे कोई भी निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है इस बिनाय पर भी वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार से परे होने से वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

(4) वादग्रस्त भूमि पंजीकृत दस्तावेज से खरीदशुदा होने से आप न्यायलय को उक्त पर सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद क्षैत्राधिकार के अभाव में इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें।

(5) प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादीगण / अप्रार्थीगण को दिलायी जाकर जवाब तलब किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र की कॉपी शामिल पत्रावली की गयी।

(6) प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(7) अधिवक्ता प्रतिवादी ने धारा 79 C.P.C.की पालना को आज्ञापक प्रावधान होने का कथन किया जो कि उचित प्रतीत होता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने पर वकील वादीगण द्वारा इसकी नकल प्राप्त की गयी तथा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बहस तक भी उसके द्वारा इस प्रावधान की पालना बाबत् कोई रूचि प्रदर्शित नहीं की गयी तथा न ही धारा 79 की पालना बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि वादीगण की कानून पालना बाबत् शिथिलता प्रकट करती है। आज्ञापक कानून के प्रावधान अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः मूल वाद पत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 की अनुपालना नहीं की जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 C.P.C.स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है पत्रावली कायम किया जावें। निर्णय आज दिनांक 01.09.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:26:31 IST
Reason: SelfAttested

( संदीप कुमार )
सहायक कलेक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

# मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

| | |
|---|---|
| मैन्यूअल प्रकरण संख्या | 58/2018 |
| G.C.M.S.प्रकरण संख्या | 2018/00019 |
| प्रकरण दर्ज होने की दिनांक | 08.06.2018 |
| निर्णय दिनांक | 01.09.2022 |

उनवान

| | |
|---|---|
| 1 | हजारी पुत्र उमा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय सोहनी पत्नि शंभू पुत्री हजारी भील |
| 2 | नाथू पुत्र उमा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 3 | गोपाल गोदपुत्र किशना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 4 | बरजी पत्नि किशना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |

– वादीगण

बनाम

| | |
|---|---|
| 1 | कल्याण पुत्र चौथू भील नि.कबराड़िया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा |
| 2 | रतनलाल पुत्र सुखा भील नि.अजीतपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 3 | नन्दराम पुत्र माना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 4 | भंवर पुत्र माना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 5 | लक्ष्मी पुत्री माना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 6 | नन्दा पुत्र धन्ना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 7 | चान्दी पुत्री धन्ना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 8 | जसू पुत्री धन्ना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 9 | बाली पुत्री धन्ना भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 10 | जम्मू पत्नि रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 11 | नारायण पुत्र रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 12 | सुखा पुत्र रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 13 | सीताराम पुत्र रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 14 | सोहनी पुत्री रूपा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 15 | झमकू पुत्री प्रताप भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 16 | केशी पुत्री प्रताप भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 17 | सायरी पुत्री प्रताप भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा |
| 18 | संतोष पुत्र उरजा भील नि.सुलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा |
| 19 | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा |

– प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,92 ( A) 1955 , 136 LRA

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,92 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव धारा 136 राजस्व अधिनियम 1956 वादी की ओर से अधिवक्ता कैलाशकंवर चारण तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ... देथा की उपस्थिति में इस वाद-पत्र के आज तारीख 01.09.2022 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश ... पर ... किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:26:31 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में मूल वाद पत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 की अनुपालना नहीं की जाने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर मूल वाद –पत्र ... स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

इस वाद के खर्चे लेखे ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××--प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××---द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख 01.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

# वाद के खर्चे

| वदी | रूपये | पैसे | प्रतिवादी | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प | 4 | | शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प | | |
| 2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प | 2 | | अर्जी के लिए स्टाम्प | 1 | |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | 13 | | प्लीडर की फीस | – | |
| 4.रूपयें पर प्लीडर की फीस | – | | सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | – | |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | – | | आदेशिका की तामील | – | |
| 6. कमिश्नर की फीस (तलवाना) | 8 | | कमिश्नर की फीस | 1 | |
| 7. आदेशिका की तामील | – | | | – | |
| योग | 27 | | योग | 2 | |

सहायक कलेक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:26:31 IST
Reason: SelfAttested